ई-मेल

महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–428 / नौ–9–2017–38ज / 17

प्रेषक

रमाकान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2017

विषयः नगरीय निकायों की आय में वृद्धि हेतु प्रत्येक दो वर्षों में सम्पत्तिकर, जलकर एवं गृहकर आदि के पुर्ननिर्धारण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव उ0प्र0 शसन के पत्र संख्या–350 / पी.एस.एम. एस / 2017दिनांक 06.05.17 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश की नगरीय निकायों द्वारा निकायों की आय में नियमित वृद्धि हेतु सम्पत्तिकर, जलकर एवं गृहकर आदि के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही कई वर्षों से नही की गई है, जिससे निकायों के वित्तीय स्रोतों में बढोत्तरी नही हो पा रही है और विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। अतएव, प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

" नगरीय निकायों में प्रत्येक दो वर्षो में सम्पत्ति–कर, जल–कर एवं गृह–कर आदि के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था बनायी जाये ताकि नगरीय निकायों की आय में नियमित वृद्धि हो सके। इस हेतु यदि किसी विनियमन / उपविधि में संशोधन की आश्यकता प्रतीत होती है, तो तदनुसार संशोधन करते हुये अग्रतर कार्यवाही की जाये।"

कृपया उक्त निर्णयानुसार प्रकरण में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमाकान्त पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संलग्नक : यथोपरि।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :—

1. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक, समस्त जल संस्थान, लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा—निदेशक,स्थानीय निकाय,उ0प्र0लखनऊ)।
6. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

कार्यालय : मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
लाल बहादुर शास्त्री भवन।

संख्या : 350 / पी.एस.एम.एस. / 2017
दिनांक : 06 मई, 2017

SL-1
38जी/17

प्रमुख सचिव
नगर विकास

संख्या...2227 / प्र०स०न०वि० / 2017

VS(R)/S05/S09

VS(M)/807

आज दिनांक 05.05.2017 को मा0 मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और सूचना प्रसारण, भारत सरकार की अध्यक्षता में आहूत बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं:-

1-- नगरीय निकायों में प्रत्येक दो वर्षों में सम्पत्ति कर, जल कर एवं गृह कर आदि के पुनर्निर्धारण की व्यवस्था बनाई जाये ताकि नगरीय निकायों की आय में नियमित वृद्धि हो सके। इस हेतु यदि किसी अधिनियम / नियमावली में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो, तो तदनुसार संशोधन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाये।

2-- नगरीय निकायों में जहाँ कूड़े के कम्पोस्ट प्लाण्ट स्थापित किये गये हैं, वहाँ कम्पोस्ट खाद को कृषि विभाग एवं वन विभाग के सहयोग से उपयोग में लाया जाये।

3-- शहरी क्षेत्रों में कृषि मण्डियों के चारों तरफ सब्जी, फल आदि की गंदगी का कूड़ा फैला रहता है, उसे भी खाद के रूप में तैयार कराकर उपयोग किया जाये।

4-- नगरीय निकाय के वार्डों में सफाई एवं स्ट्रीट लाइट विभाग के कर्मचारियों की सूची, मोबाईल नम्बर सहित वार्ड के किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाये।

6.5.2017

518/VS/R/17
S0-9

6/5/17
(कल्पना पाण्डेय)
विशेष सचिव
नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

06.05.2017
(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव
उ० प्र० शासन

प्रतिलिपि : सचिव, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

06.05.2017

8/5/17